


**शहरी विकास विभाग**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार**  
**9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली**

विधायक का नाम : श्री शिव चरण गोयल  
दिनांक : 23.08.2019  
विधान सभा अतारंकित प्रश्न संख्या : 142  
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	मोती नगर विधानसभा के वार्ड 99, 100, 101 में पिछले तीन वर्षों में अधिकृत एवं स्वीकृत प्लान के साथ कितने रिहाइशी भवन बनाए गए हैं;	मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2016 से अब तक अधिकृत एवं स्वीकृत प्लान की संख्या 426 है।
ख	उसमें से कितने मकान अनाधिकृत पाए गए;	उपरोक्त संख्या में 164 भवनों में निर्माण स्वीकृत प्लान से परिवर्तित पाया गया।
ग	इन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, उसका पूरा ब्यौरा दें;	सन्दर्भ क एवं ख में दिए गये उत्तर के विस्तार में प्रेषित है। उपरोक्त 164 भवन जिनमें निर्माण स्वीकृत प्लान से परिवर्तित पाया गया उन्हें निगम के 1957 विनियम धाराओं के अन्तर्गत बुक कर दिया गया है। इनमें 37 सम्पत्तियों में तोड़-फोड़ की कार्यवाही तथा 6 सम्पत्तियों में सीलिंग की कार्यवाही की गई है। शेष सम्पत्तियों में वांछित कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
घ	पिछले तीन वर्षों में इन तीन वार्डों में बैंकवेट हॉल बनाने हेतु कितने परमिट जारी किए गए हैं;	बैंकवेट हॉल को कोई परमिट नहीं दिया जाता है बल्कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाईसेंस जारी किया जाता है पिछले तीन वर्षों में वार्ड 99,100 और 101 में कुल 15 बैंकवेट हॉलो को लाईसेंस जारी किये गये हैं।
ङ	पिछले तीन वर्षों में इन वार्डों में गैर आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यों (जैसे फैक्टरियां, गोदाम, दुकानें इत्यादि) का विवरण क्या है; और	पिछले तीन वर्षों में इन वार्डों में गैर आवासीय यानि 13 फैक्ट्री एवं 06 व्यवसायिक निर्माण कार्य हुए।
च	इस क्षेत्र में कितने बैंकवेट हॉल अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं; और	इस क्षेत्र में कोई भी बैंकवेट हॉल अनाधिकृत रूप से नहीं चल रहा है।
छ	इन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, पूर्ण विवरण दें?	इस क्षेत्र में कोई भी बैंकवेट हॉल अनाधिकृत रूप से नहीं चल रहा है। इसलिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

  
Secretary (U.D./P.C.)  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
Delhi Secretariat  
I.P. Estate, New Delhi-02